बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/विविध (गया) 07–04/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–3466, दिनांक–04.07.2025 द्वारा **श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी राजस्व अधिकारी, बाराचट्टी, गया** के विरूद्ध आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें सोशल मीडिया पर परिमार्जन हेतु रिश्वत लेने संबंधी वायरल वीडियों के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी के द्वारा जाँच के क्रम में आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों के बयान के आधार पर दोषी पाये जाने, जाँच के क्रम में उपस्थित रहने की सूचना दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना किए जाने, सरकारी कार्यों एवं पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किए जाने एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य किए जाने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–809(15) दिनांक–23.05.2025 द्वारा श्री राकेश कुमार को निलंबित करते हुए उनका **मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा** निर्धारित किया गया है।

3. प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1671(15) दिनांक–09.09.2025 से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–18.09.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण बनावटी प्रतीत होता है क्योंकि यदि आरोपी पदाधिकारी के साथ प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के द्वारा प्रमुख के बंद कक्ष में आरोपी पदाधिकारी को जबरदस्ती पैसे देकर गिनने का दबाव बनाने का प्रयास किया गया था तो आरोपी पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को क्यों नहीं दी गई? आरोपी पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारियों को सूचना नहीं दिये जाने का अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में मनगढ़न कुतर्क गढ़ने का प्रयास किया गया है साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी के जाँच प्रतिवेदन में जनता से की गई पूछ–ताछ एवं लिए गए बयान के आधार पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा परिमार्जन के एवज में रिश्वत के रूप में पैसे लेने की बात की पुष्टि की गई है। इसलिए वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

7. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, गया** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

8. श्री राकेश कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, गया/अपर समाहर्त्ता, गया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया/श्री राकेश कुमार, **तत्कालीन प्रभारी राजस्व अधिकारी, बाराचट्टी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के उप सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/विविध (गया) 07–04/2025–515(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–10.4.26

प्रतिलिपिः– आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/समाहर्त्ता, गया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया/श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी राजस्व अधिकारी, बाराचट्टी, गया **सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/4/26

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के उप सचिव।